इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023–पौष 30, शक 1944

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. 160–मप्रविनिआ–2023.– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 61(ज), 86(1)(ड.) सहपठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 [आरजी–33(II), वर्ष 2021] जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षकतथा प्रांरभः**

1.1 ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय)स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021{एआरजी–33(II)(i), वर्ष 2023}**"कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :**

2.1 **मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (दस) के पश्चात् एक नवीन खण्ड अर्थात्, खण्ड (दस)(क) स्थापितकिया जाए :–**

"(दस)(क) **'इकाई'** से अभिप्रेत है आबन्धित (केप्टिव) उपभोक्ताओं को छोड़कर कोई उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग अथवा स्वीकृत भार 100 किलोवाट से अधिक है :

परन्तु यह कि आबद्ध (कैप्टिव) उपभोक्ताओं के प्रकरण में किसी प्रकार की भार सीमाबद्धता नहीं होगी ;"

2.2 **मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात्, खण्ड (ग्यारह)(क) स्थापित किया जाए :**

"(ग्यारह)(क) **'हरित ऊर्जा(ग्रीन एनर्जी)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत अथवा संचायक (स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा

(स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो) या कोई अन्य प्रौद्योगिकी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए तथा इसमें सम्मिलित होगी कोई भी क्रियाविधि जिसके अन्तर्गत जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने हेतु हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो, हरित हायड्रोजन (ग्रीन हायड्रोजन) अथवा हरित अमोनिया के उत्पादन अथवा अन्य कोई स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ;"

2.3 मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (तेरह) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

"**(तेरह) 'आबन्धित इकाई'** से अभिप्रेत है इकाईयां जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (ङ) के अधीन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध के परिपालन हेतु अधिदेशित की गई हों जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ता तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता सम्मिलित हैं ;"

2.4 मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (सोलह) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

"**(सोलह) 'नवीकरणीय ऊर्जा आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र'** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत के उत्पादन हेतु स्थापित किया गया नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्र तथा इसमें सम्मिलित है विद्युत उत्पादन हेतु किसी सहकारी समिति अथवा संस्था द्वारा स्थापित किया गया विद्युत उत्पादन संयन्त्र, प्राथमिक तौर पर ऐसी सहकारी समिति अथवा संस्था द्वारा इसके सदस्यों के उपयोग हेतु तथा जो समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम 2005 के नियम 3(1)(क) तथा 3(1)(ख) में अन्तर्विदष्ट शर्तों की तुष्टि करता हो;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.1 के स्थान पर निम्न विनियम 3.1 स्थापित किया जाए:

3.1 समस्त आबन्धित इकाईयों द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के विद्युत उत्पादकों से विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्ति की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नानुसार होगी :–

वित्तीय वर्ष	पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)	जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)	अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO)	नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध का योग (Total RPO)
2022–23	0.81%	0.35%	23.44%	24.60%
2023–24	1.60%	0.66%	25.13%	26.89%
2024–25	2.46%	1.08%	25.63%	29.17%
2025–26	3.36%	1.48%	26.13%	30.97%
2026–27	4.29%	1.80%	26.63%	32.72%
2027–28	5.23%	2.15%	27.13%	34.51%
2028–29	6.16%	2.51%	27.63%	36.30%
2029–30	6.94%	2.82%	28.13%	37.89%

(क) **पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)** की पूर्ति दिनांक 31 मार्च 2022 के पश्चात् क्रियाशील की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (WPPs) से उत्पादित ऊर्जा से तथा 7 प्रतिशत से अधिक अधिप्राप्त की जाने वाली पवन विद्युत 31 मार्च 2022 तक क्रियाशील की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से की जाएगी।

(ख) **जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)** की पूर्ति केवल दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात् क्रियाशील की गई जल विद्युत परियोजनाओं {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) को सम्मिलित करते हुए} से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा से की जाएगी।

(ग) अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO) की पूर्ति अन्य किसी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना जिसका उल्लेख उपरोक्त (क) और (ख) में नहीं किया गया है, से उत्पादित ऊर्जा से की जा सकेगी।

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 से आगे समस्त जल विद्युत परियोजनाओं (HPPs) से प्राप्त की गई ऊर्जा को नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) का भाग माना जाएगा।

3.1.2 नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की संगणना ऊर्जा के रूप में अधिप्राप्त की गई कुल विद्युत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

3.1.3 जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्वों का निर्वहन दिनांक 8 मार्च 2019 को तथा तत्पश्चात् 31 मार्च 2030 तक क्रियाशील पात्र जल विद्युत परियोजनाओं {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs)

लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए} से अधिप्राप्त विद्युत से किया जाएगा।

3.1.4 यदि विद्युत की खपत राज्य/विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के भीतर की जाती है तो राज्य/विद्युत वितरण कम्पनियों के जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्व का निर्वहन दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात् किसी भी समय राज्य को प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं से (उद्वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए) के माध्यम से अनुबन्ध के अनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के प्रति अंशदान को छोड़कर, किया जा सकेगा। निःशुल्क विद्युत (उसे छोड़कर जिसका अंशदान स्थानीय विकास हेतु किया जाता है) को जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रलाभ की पात्रता होगी।

3.1.5 जहां जल विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु उपरोक्त उल्लेखित निःशुल्क विद्युत की मात्रा अपर्याप्त हो वहां राज्य शासन को जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु अतिरिक्त जल विद्युत का क्रय या फिर जल विद्युत से तत्संबंधी राशि के समकक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र का क्रय करना होगा।

3.1.6 जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्व के अनुपालन को सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विकसित की जाने वाली जल विद्युत से तत्संबंधी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र क्रियाविधि जल विद्युत क्रय आबन्ध के अनुपालन हेतु लागू होगी।

3.1.7 जल विद्युत परियोजनाओं की पुनरीक्षित क्रियाशील किये जाने संबंधी अनुसूची पर निर्भर उपरोक्त जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। तद्नन्तर, वर्ष 2030–31 तथा वर्ष 2039–40 के मध्य की अवधि हेतु जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रक्षेप वक्र (ट्रेजेक्टरी) को अधिसूचित किया जाएगा।

3.1.8 जल विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु भारत विदेशों से आयात की गई जल विद्युत पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.9 किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान 'अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO)' श्रेणी की प्राप्ति हेतु अवशेष किसी कमी की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात् उक्त वर्ष हेतु

वैकल्पिक रूप से 'पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)' के पश्चात् क्रियाशील की गई पवन विद्युत परियोजनाओं (WPPs) से की गई खपत तथा 7 प्रतिशत अधिक अधिप्राप्ति की गई पवन ऊर्जा से या फिर दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात्, 'जल विद्युत क्रय आबन्ध' से परे क्रियाशील की गई पात्र जल विद्युत परियोजनाओं से {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) को सम्मिलित करते हुए} उपभोग की गई आधिक्य ऊर्जा द्वारा या फिर आंशिक रूप से दोनों के माध्यम से की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, किसी विशिष्ट वर्ष में 'पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (विंड आरपीओ)' की प्राप्ति हेतु किसी कमी की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से उपभोग की गई आधिक्य ऊर्जा के माध्यम से जो उक्त वर्ष हेतु 'जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)' से अधिक हो, की जा सकेगी तथा यह प्रक्रिया विलोमतः भी लागू होगी।

3.1.10 कुल उपभोग की गई ऊर्जा का निम्नांकित प्रतिशत संग्रहण के साथ/माध्यम से सौर/पवन ऊर्जा का होगा :

वित्तीय वर्ष	संग्रहण (ऊर्जा के आधार पर)
2023–24	निरंक
2024–25	निरंक
2025–26	1.0%
2026–27	1.5%
2027–28	2.0%
2028–29	2.5%
2029–30	3.0%

3.1.11 उपरोक्त खण्ड 3.1.10 में उल्लेखित ऊर्जा संग्रहण आबन्ध की गणना कुल अधिप्राप्त की गई विद्युत के प्रतिशत के संबंध में ऊर्जा के रूप में की जाएगी तथा इसे केवल उसी दशा में परिपूर्ण समझा जाएगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (ESS) में संग्रहीत कुल ऊर्जा का न्यूनतम 85% अंश नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से अधिप्राप्त किया गया हो।

3.1.12 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से भण्डारित ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा संग्रहण आबन्ध को कुल नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध को परिपूर्ण होने के भाग के रूप में माना जाएगा जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त खण्ड 3.1 में किया गया है।

3.1.13 किन्हीं नवीकरणीय उदीयमान वाणिज्यिक व्यवहारिक ऊर्जा संग्रहण प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने के साथ–साथ बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों (BESS) की लागत में कमी करने बाबत भी उद्वहन संग्रहण परियोजना क्षमता को क्रियाशील करने/ परिचालन पर विचार करते हुए ऊर्जा संग्रहण आबन्ध की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.3 के स्थान पर निम्न विनियम 3.3 स्थापित किया जाए :

"3.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में समस्त आबन्धित इकाईयों पर एक समान नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध लागू होगा।"

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.8 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात् 3.8(क), 3.8(ख) तथा 3.8(ग) निम्नानुसार जोड़े जाएं :

"3.8(क) कोई भी इकाई, भले ही वह आबन्धित हो या फिर न भी हो, एक या एक से अधिक निम्न विधियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, क्रय तथा खपत का चयन कर सकेगी :

क. **नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से स्वयं द्वारा उत्पादन :** इकाईयों द्वारा उनकी स्वयं की विद्युत खपत हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत संयन्त्रों की स्थापना हेतु कोई क्षमता सीमा नहीं होगी तथा ऐसे संयन्त्रों की स्थापना भारत में किसी भी स्थान पर की जा सकेगी तथा विद्युत का पारेषण निर्बाध (खुली) पहुंच के उपयोग द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन संयन्त्र की स्थापना स्वयं इकाई द्वारा या अथवा विकासक (डेवलपर) द्वारा की जा सकेगी जिसके साथ इकाई विद्युत क्रय अनुबन्ध का निष्पादन करती है।

ख. किसी विकासक से निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी (ट्रेडिंग लायसेंसी) के माध्यम से या फिर विद्युत विपणन केन्द्रों (पावर मार्केट्स) के माध्यम से।

व्याख्या :

(एक) विकासक से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है।

(दो) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसे समुचित आयोग द्वारा विद्युत के क्रय द्वारा उसके पुनर्विक्रय (रीसेल) हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदान की गई है।

ग. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मांग द्वारा –

एक. कोई भी इकाई हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगी तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मांग की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की जाएगी तथा उपभोक्ता के समक्ष सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु पृथक–पृथक मांग प्रस्तुत करने का लचीला विकल्प उपलब्ध रहेगा ;

दो. उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय कर सकेगा, ऐसी परिस्थिति में उसे वचनबद्ध किया जा सकेगा तथा क्रियान्वयन की सुलभता हेतु ऐसा पच्चीस प्रतिशत की मात्रा में चरणबद्ध किया जाकर इसमें शत प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी ;

तीन. हरित ऊर्जा हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण आयोग द्वारा पृथक से किया जाएगा जिसके अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा की औसत समेकित विद्युत क्रय लागत, प्रति–राज्यानुदान प्रभार, यदि कोई हो, तथा सेवा प्रभार के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु युक्तिसंगत लागत को सम्मिलित किया जाएगा;

चार. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा हेतु कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी ;

पांच. हरित ऊर्जा हेतु मात्रा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु पूर्व–निर्दिष्ट की जाएगी;

छः. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की गई हरित ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अन्य हों, के अन्तर्गत आबन्धित इकाई के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध से अधिक मात्रा की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध अनुपालन के रूप में की जाएगी ; तथा

सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर प्रदाय की गई नवीकरणीय ऊर्जा का व्यवस्थापन (सेटलमेंट) मासिक आधार पर किया जाएगा।

घ. आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र से हरित ऊर्जा की खपत द्वारा

ङ. **हरित हायड्रोजन या हरित अमोनिया का क्रय** : आबन्धित इकाई द्वारा उसकी नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हरित हायड्रोजन या

हरित अमोनिया के क्रय द्वारा भी की जा सकती है तथा ऐसी हायड्रोजन या हरित अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्त्रोतों से एक मेगावाट ऑवर (MWh) विद्युत से उत्पादित हरित हायड्रोजन या हरित अमोनिया के बराबर या उसके गुणजों (multiples) पर विचार करते हुए की जाएगी तथा इस संबंध में मानदण्ड केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।

च. अन्य कोई स्त्रोत जैसा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं।

"3.8.(ख)हरित प्रमाण–पत्र (ग्रीन सर्टिफिकेट) – उपभोक्ताओं की नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध से अधिक हरित ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को वार्षिक आधार पर हरित प्रमाण–पत्र (ग्रीन सर्टिफिकेट) प्रदान करेगा।"

"3.8.(ग) मूल्यांकन (रेटिंग) – उभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई हरित ऊर्जा के प्रतिशत के आधार पर आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे उपभोक्ताओं के समक्ष मूल्यांकन की अवधारणा को प्रवर्तित कर सकेगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन :

4.1 मूल विनियमों के विनियम 10.1 के स्थान पर निम्न विनियम 10.1 स्थापित किया जाए :

"10.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से प्रति माह उत्पादित विद्युत ऊर्जा हेतु अधिकोषण (बैंकिंग) की सुविधा निम्न शर्तों पर प्रदान की जाएगी :

एक. अधिकोषण (बैंकिंग) की सुविधा न्यूनतम मासिक आधार पर अतिरिक्त लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु, यदि कोई हो, अधिकोषण द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाएगी तथा आयोग अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार प्रयोज्य प्रभारों का अवधारण करेगा।

दो. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञेय की गई अधिकोषित ऊर्जा की मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई विद्युत की कुल मासिक खपत का न्यूनतम तीस प्रतिशत होगी :

परन्तु यह कि अधिकोषित ऊर्जा के आकलन को अनुवर्ती महीनों में आगे बढ़ाने (कैरी फार्वर्ड) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा माह के दौरान अधिकोषित ऊर्जा के आकलन को उसी माह के दौरान समायोजित किया जाएगा।

'अधिकोषण (बैंकिंग)' से अभिप्रेत है ग्रिड में अन्तःक्षेपित (इन्जेक्टेड) की गई अधिशेष हरित ऊर्जा की मात्रा जिसे हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ आकलित (क्रेडिट) किया गया हो तथा इसे अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभारों के साथ आहरित किया जा सकता है।"

5. मूल विनियमों के विनियम 11.2 के खण्ड (घ) की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्ति में शब्दों "तथा अतिरिक्त अधिभार" को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, सचिव.

Bhopal, the 16th January 2023

No. MPERC/2023/160 In exercise of the powers conferred by Section 61(h) , 86(1)(e) , read with Section 181(1) and Section 181(2)(zp) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Co-Generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021[RG-33(II) of 2021], herein after referred to as "the Principal Regulations"namely :-

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CO-GENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION-II) REGULATIONS 2021

1. **Short Title and Commencement-**
   - **1.1. These Regulations shall be called"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Co Generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 (First Amendment) [ARG-33(II)(i) of 2023]".**
   - **1.2.** These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
   - **1.3.** These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:**

2.1A new clause, namely, clause (x)(a) shall be inserted after clause (x) of the Regulation 2 of the Principal Regulations: -

"**(x)(a) 'Entity'** means any consumer who has contracted demand or sanctioned load of 100 kW or more except for captive consumers:

Provided that in case of captive consumers there shall not be any load limitation."

2.2A new clause, namely, clause (xi)(a) shall be inserted after clause (xi) of the Regulation 2 of the Principal Regulations: -

" **(xi)(a) 'Green Energy'** means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any

other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia or any other sources, as may be prescribed by the Central Government;"

2.3 Clause (xiii) of the Regulation 2 of the Principal Regulations is amended as under: -

"(xiii) 'Obligated Entity' means the entities which are mandated under clause (e) of Sub-section (1) of Section 86 of the Act to fulfil renewable purchase obligation, which includes Distribution Licensee, Captive User and Open Access Consumer."

2.4 Clause (xvi) of the Regulation 2 of the Principal Regulations is amended as under:-

"(xvi)-'Renewable Energy based Captive Generating Plant' means a Renewable Energy Plant set up by any person to generate electricity primarily for its own use and includes a power plant set up by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such co-operative society or association and satisfies the conditions contained in Rule 3 (1)(a) and 3(1) (b) of the Electricity Rules 2005, as amended from time to time;"

Amendment to Regulations 3 of the Principal Regulations:

3.1 Regulation 3.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"3.1 The minimum quantum of electricity to be procured by Obligated Entities from generators of Renewable Sources of Energy including Co-generation from Renewable Sources of electricity expressed as percentage of their total annual procurement of electrical energy during the following Financial Years shall be as under:

Financial Year	Wind RPO	HPO	Other RPO	Total RPO
2022-23	0.81%	0.35%	23.44%	24.60%
2023-24	1.60%	0.66%	25.13%	26.89%
2024-25	2.46%	1.08%	25.63%	29.17%
2025-26	3.36%	1.48%	26.13%	30.97%
2026-27	4.29%	1.80%	26.63%	32.72%
2027-28	5.23%	2.15%	27.13%	34.51%
2028-29	6.16%	2.51%	27.63%	36.30%
2029-30	6.94%	2.82%	28.13%	37.89%

(a) Wind RPO shall be met by energy procured from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 and the wind energy procured over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 22.

(b) HPO shall be met only by energy procured from Hydro Power Projects [including Pumped Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned after 8th March 2019.

(c) Other RPO may be met by energy procured from any RE power project not mentioned in (a) and (b) above.

3.1.1 From FY 2022-23 onwards, the energy procured from all Hydro Power Projects (HPPs) shall be considered as part of RPO.

3.1.2 RPO shall be computed in energy terms as a percentage of total procurement of electricity.

3.1.3 HPO obligations may be met from the power procured from eligible Hydro Power Projects [including Pumped Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned on and after 8th March, 2019 to 31st March, 2030.

3.1.4 HPO Obligation of the State/ Discoms may be met out of the free power being provided to the State from Hydro Power Projects [including Pumped Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs), commissioned after 8th March 2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards Local Area Development Fund (LADF), if consumed within the State/Discom. Free power (not that contributed for Local Area Development) shall be eligible for HPO benefit.

3.1.5 In case, the free power mentioned above is insufficient to meet the HPO obligations, then the State would have to procure the additional hydro power to meet its HPO obligations or may have to buy the corresponding amount of Renewable Energy Certificate corresponding to Hydro Power.

3.1.6 The Renewable Energy Certificate mechanism corresponding to Hydro Power to be developed by CERC to facilitate compliance of HPO Obligation would be applicable for HPO compliance.

3.1.7 The above HPO trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning schedule of Hydro projects. The HPO trajectory for the period between 2030-31 and 2039-40 shall be notified subsequently.

3.1.8 Hydro imported from outside India shall not be considered for meeting HPO.

3.1.9 Any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year can be met with either the excess energy procured from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year and the wind energy procured over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March 2022 or with excess energy procured from eligible Hydro Power Projects [including Pumped Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after 8th March, 2019 beyond 'HPO' for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO in a particular year can be met with excess energy procured from Hydro Power Plants, which is in excess of 'HPO' for that year and vice versa.

3.1.10 The following percentage of total energy procured shall be solar/wind energy along with / through storage.

Financial Year	Storage (on Energy basis)
2023-24	Nil
2024-25	Nil
2025-26	1.0 %
2026-27	1.5 %
2027-28	2.0 %
2028-29	2.5 %
2029-30	3.0 %

3.1.11 The Energy Storage Obligation in 3.1.10 above shall be calculated in energy terms as a percentage of total procurement of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of the total energy stored in the Energy Storage System (ESS) on an annual basis, is procured from renewable energy sources.

3.1.12 The Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE sources shall be considered as a part of fulfilment of the total RPO as mentioned in 3.1 above.

3.1.13 The Energy Storage Obligation shall be reviewed periodically considering the commissioning / operation of PSP capacity, to accommodate any new promising commercially viable Energy Storage Technologies and also reduction in cost of Battery Energy Storage Systems (BESS).

3.1.14 State Agency shall maintain data related to compliance of RPO Obligations."

3.2 Regulation 3.3 of the Principal Regulations shall be substituted as under: -

"**3.3** There shall be uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in area of a Distribution Licensee."

3.3 New Regulations, namely Regulation 3.8 (A), 3.8 (B) and 3.8 (C) shall be added after Regulation 3.8 of the Principal Regulations, as under: -

"**3.8(A)** Any entity, whether obligated or not, may elect to generate, purchase and consume renewable energy as per their requirements by one or more of the following methods: -

a. Own Generation from renewable energy sources – There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by using open access:

Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer, with which the entity enters into a power purchase agreement.

b. By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets.

Explanation:

i. Developer means the generating company who generate electrical energy from renewable sources of energy.

ii. Trading Licensee means a person who has been granted a licence by the appropriate Commission, for purchase of electricity for resale thereof.

c. By requisition from Distribution Licensee –

i. Any entity may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and it may place a requisition for this with their Distribution Licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer

shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;

ii. The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, then he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of twenty five percent and going up to hundred percent;

iii. The tariff for the green energy shall be determined separately by the Commission which shall comprise of the average pooled power purchase cost of the renewable energy, cross-subsidy charges if any, and service charges covering the prudent cost of the Distribution Licensee for providing the green energy;

iv. Any requisition for green energy from a Distribution Licensee shall be for a minimum period of one year;

v. The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;

vi. The green energy purchased from Distribution Licensee or from Renewable Energy sources other than Distribution Licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the Distribution Licensee;

vii. The settlement of renewable energy supplied at Distribution Licensee level shall be on a monthly basis;

d. By consuming green energy from captive power plant.

e. Purchase of green hydrogen or green ammonia: -The obligated entity can also meet their Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be notified by the Central Commission.

f. Any other sources, as may be determined, by the Central Government."

"**3.8 (B) Green Certificate** – The Distribution Licensee shall give green certificate on yearly basis to the consumers for the green energy supplied by the Licensee to consumer on his request beyond the renewable purchase obligation of the consumers."

"**3.8 (C) Rating** - The Commission may introduce the concept of rating of the consumers of the distribution licensee, based on the percent of green energy purchased by such consumer."

4. Amendment to Regulations 10 of the Principal Regulations: -

4.1 Regulation 10.1 of the Principal Regulations shall be substituted as below:

"**10.1** The facility for Banking of the electric energy generated in each month from Renewable Energy Sources shall be provided on the following conditions:

i. Banking shall be permitted at least on a monthly basis on payment of charges to compensate additional costs, if any, to the Distribution Licensee by the Banking and the Commission shall determine the applicable charges as per methodology approved by the Commission;

ii. The permitted quantum of banked energy by the Green Energy Open Access consumers shall be at least thirty percent of the total monthly consumption of electricity from the Distribution Licensee by the consumers;

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent months and the credit of energy banked during the month shall be adjusted during the same month.

'Banking' means the surplus green energy injected in the grid and credited with the Distribution Licensee energy by the Green Energy Open Access consumers and which can be drawn along with charges to compensate additional, cost if any."

5. In 3rd line of clause (d) of the Regulation 11.2 of the Principal Regulations, the words ''additional surcharge'' are omitted.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्रमांक 161/मप्रविनिआ/2023/. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39(2)(घ), 40(ग), 42(2) एवं (3), के साथ पठित धारा 181(1) द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 [आर जी–24(I), वर्ष विनियम, 2021], जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अर्न्तराज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 [आरजी–24(I), वर्ष 2021] में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021" [एआर जी–24(I)(i), वर्ष 2023]** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (नौ) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (नौ) (क) स्थापित किया जाए :

"(नौ)(क) 'हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी)' से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत अथवा संचायक (स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का

उपयोग किया जाता हो) या कोई अन्य प्रौद्योगिकी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए तथा इसमें सम्मिलित होगी कोई भी क्रियाविधि जिसके द्वारा जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने हेतु हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो, हरित हायड्रोजन (ग्रीन हायड्रोजन) अथवा हरित अमोनिया का उत्पादन अथवा अन्य कोई स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए :"

3. **मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन**

विनियम 3.3 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए:

"परन्तु यह और कि 100 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों तथा उपयोगकर्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में बिना कोई परिचालन सीमाबद्धताओं के अध्यधीन निर्बाध (खुली) पहुंच प्रदान की जाएगी।"

उपरोक्त परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़े जाएं :–

"परन्तु यह और भी कि 100 किलोवाट से कम क्षमता के नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों तथा उपयोगकर्ता जिन्हें इन संशोधनों की अधिसूचना तिथि से पूर्व दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि तथा लघु अवधि खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की गई हो उन्हें पूर्व में स्वीकृत की गई अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई अवधि हेतु इस सुविधा की प्राप्ति को जारी रखा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा न्यूनतम बारह समय खण्डों हेतु खुली पहुंच के माध्यम से उपयोग की जा रही विद्युत की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 5.1 में शब्दों "निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा :" के स्थान पर निम्न शब्द स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, को निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा"

5. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 6.1 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए :

"परन्तु यह और कि निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु "गैर–जीवाश्म ईंधन" स्त्रोतों की अपेक्षा "जीवाश्म ईंधन" स्त्रोतों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।"

6. मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन

6.1 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.1 के पश्चात् एक–नवीन विनियम, अर्थात् विनियम 8.1.1 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"8.1.1 हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु समन्वयन अभिकरण

(एक) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच से संबंधित समस्त आवेदनों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) द्वारा समस्त हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा इन आवेदनों को समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित संबंधित समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) के माध्यम से हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) लघु अवधि हेतु हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) होगा तथा राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा (यूटिलिटी) इकाई मध्यम तथा दीर्घ

अवधि हेतु हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति के लिये समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) होगी।

(तीन) समन्वयन अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) के पोर्टल पर आम जनता को हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के संबंध में समस्त सुसंबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।"

6.2 मूल विनियमों के विनियम 8.2 में शब्दों "अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच विनियम, 2005" के स्थान पर शब्दों "पुनरीक्षित अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच विनियम, 2021" को स्थापित किया जाए तथा शब्दों" "इन पुनरीक्षित विनियमों" के स्थान पर शब्दों "उपरोक्त कथित विनियमों में इन संशोधनों" को स्थापित किया जाए।

6.3 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.5 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात् विनियम 8.5.1 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"8.5.1 हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया

(एक) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु समस्त आवेदन, समस्त प्रकार से पूर्ण कर, केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

(दो) राज्य समन्वयन अभिकरण (स्टेट नोडल एजेन्सी), लिखित में आदेश जारी करते हुए पन्द्रह दिवस के भीतर हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु आवेदनों को अनुमोदन प्रदान करेगा जिसका अनुपालन न किये जाने पर इन्हें अनुमोदित किया गया समझा जाएगा जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के परिपालन के अध्यधीन होगा:

परन्तु यह कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु ऐसे आवेदनों को प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम क्रमानुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

(तीन) यदि कोई आवर्धन (augmentation) किये बगैर पारेषण प्रणाली में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो लघु–अवधि तथा मध्यम–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच को अनुज्ञेय किया जाएगा जबकि दीर्घ–अवधि निर्बाध

(खुली) पहुंच हेतु पारेषण प्रणाली में यदि आवश्यक हो तो इसमें आवर्धन भी किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो विद्यमान प्रणाली में दीर्घ–अवधि को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आगे यह भी कि जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से निर्बाध (खुली) पहुंच की अपेक्षा गैर–जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से निर्बाध (खुली) पहुंच को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(चार) निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु किसी भी आवेदन के प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्बाध (खुली) पहुंच को अस्वीकार किये जाने संबंधी समस्त आदेश आख्यापक (speaking order) होंगे।

(पांच) राज्य समन्वयन अभिकरण (स्टेट नोडल एजेन्सी) के आदेश के विरूद्ध उपरोक्त उप–खण्ड (चार) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

(छः) आयोग को अपील का निराकरण तीन माह के भीतर करना होगा तथा उसके द्वारा जारी किया गया आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।"

6.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.8 में शब्दों "अनुश्रवण, विवाद निराकरण तथा निर्णय की समीक्षा" के पश्चात् शब्द "{हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर}" जोड़े जाएं।

7. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 9.1 में शब्दों "समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु आवेदनों पर कार्यवाही हेतु निम्न समय–सारणी का अनुसरण करना होगाः" से पूर्व शब्दों "हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर" को जोड़ा जाए।

8. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन

इस खण्ड के मुख्य शीर्षक के पश्चात् एक नवीन उप–शीर्षक जोड़ा जाए, अर्थात् :

"13 (क) : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु प्रभार"

तदोपरान्त, मूल विनियमों के उप–खण्ड 13.3 के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड 13ख जोड़ा जाए, अर्थात् :

"13ख : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु अधिरोपित किये जाने वाने वाले प्रभार

एक. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किये जाने वाले प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(क) पारेषण प्रभार ;

(ख) चक्रण प्रभार ;

(ग) प्रति राज्यानुदान अधिभार ;

(घ) अतिरिक्त अधिभार ;

(ङ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) के प्रयोज्य अनुसूचीकरण शुल्क (scheduling fees)/प्रभार एवं विचलन प्रभार ;

(च) राज्य शासन द्वारा अधिरोपित प्रभार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के कर ;

(छ) आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैंडबाई चार्जेस) जहां कहीं भी ये लागू हों ; तथा

(ज) उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

दो. प्रति–राज्यानुदान अधिभार अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति सहपठित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार, होंगे :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र से हरित ऊर्जा क्रय करने वाले हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के लिये प्रतिराज्यानुदान अधिभार में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र की परिचालन तिथि से बारह वर्षों की अवधि के दौरान उक्त वर्ष हेतु जिसके अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच स्वीकार की गई हो हेतु निर्धारित किये गये अधिभार से पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा स्थाई प्रभारों का भुगतान किया जा रहा हो तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू न होगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहां निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को अपशिष्ट से ऊर्जा संयन्त्र (वेस्ट टू एनर्जी प्लांट) के माध्यम से उत्पादित विद्युत प्रदाय की जाए, वहां प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार लागू न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हायड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता हो तो प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार लागू न होंगे।

तीन. किसी उपभोक्ता द्वारा देय प्रतिराज्यानुदान अधिभार इस प्रकार का होगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिराज्यानुदान अधिभार के चालू स्तर की प्रतिपूर्ति कर सके।

चार. आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैण्ड बाई प्रभार) जहां कहीं भी वे लागू हों, को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसे प्रभार लागू न होंगे यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपात उपयोगी व्यवस्था हेतु अग्रिम रूप से विद्युत

प्रदाय हेतु प्रदाय अवधि से न्यूनतम चौबीस घंटे पूर्व नोटिस दिया गया हो :

परन्तु यह कि प्रयोज्य आपात–उपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी को प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों के दस प्रतिशत से अधिक न होंगे :

परन्तु यह और कि आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैण्डबाई चार्जेस) यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय ((अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} विनियम, 2021 तथा मप्रविनिआ (हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैकिंग प्रभारों के अवधारण की कार्यविधि) विनियम, 2023के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके समुच्चय/पूल से प्रदाय की गई ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे।

व्याख्या–इस विनियम के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति "आपात–उपयोगी प्रभारों (स्टेण्डबाई चार्जेस)" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपात–उपयोगी व्यवस्था के विरूद्ध निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य प्रभार, ऐसी परिस्थिति में जब निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता जिनके साथ उसके द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हों, के लिये विद्युत–उत्पादन स्त्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्त किया जाना विद्युत–उत्पादन संयन्त्र, पारेषण परिसम्पत्तियों तथा समकक्ष कारणों से अवरोध के फलस्वरूप संभव न हो।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, सचिव.

Bhopal, the 16th January 2023

No. MPERC/2023/161 In exercise of powers conferred by Section 39(2)(d), 40(c), 42(2) and (3) read with Section 181(1) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh)(Revision-I) Regulations, 2021 ({RG-24(I) of 2021}herein after referred to as "the Principal Regulations" namely: -

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR INTRA-STATE OPEN ACCESS IN MADHYA PRADESH) (REVISION-I) REGULATIONS, 2021 {RG-24(I) OF 2021}

1. Short Title and Commencement-

1.1. These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 (First Amendment) {ARG-24(I)(i) of 2023}".**

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 2of the Principal Regulations.

A new clause, namely, Clause (ix)(a) shall be inserted after Clause (ix) of the Regulation 2 of the Principal Regulations: -

"**(ix)(a)Green Energy** means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia or any other sources, as may be prescribed by the Central Government;"

3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations.

The second proviso of the Regulation 3.3 of the principal Regulations shall be substituted by the proviso as under: -

"Provided further that renewable energy generators and users capacity of 100 KW or above shall be Provided open access, subject to no operational constraints in the Licensee's system:"

Following provisos shall be added after above proviso: -

"Provided also that the renewal energy generators and users below 100 KW who have been granted permission for long-term, medium term or short-term open access prior to the date of notification of these Amendments, shall continue to avail such open access upto the period of permission already granted:

Provided also that Green Energy Open Access consumers shall not change the quantum of power consumed through open access for at least twelve-time blocks."

4. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations.

In the Regulation 5.1 of the Principal Regulations words "The open access customers shall be classified into the following categories:" Shall be substituted by the following words; namely:
"The open access customers including those availing green energy open access shall be classified into the following categories:"

5. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations.

In the Regulation 6.1 of the Principal Regulations, a proviso shall be added after existing proviso of the said Regulation as under: -
"Provided further that, open access for "non-fossil fuel" sources shall be given priority over the open access from the "fossil fuel"."

6. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations.

6.1 A new Regulation namely Regulation 8.1.1 shall be added after existing Regulation 8.1 of the Principal Regulations, as follows: -

"8.1.1 Nodal Agencies for Green Energy Open Access

i. All applications related to Green Energy Open Access shall be submitted on the portal set up by the Central Nodal Agency, as notified by the Central Government, and these applications shall get routed to the concerned nodal agency notified by the Appropriate Commission for grant of Green Energy Open Access.

ii. The State Load Despatch Centre shall be the Nodal Agency for grant of Green Energy Open Access for Short-term and the State Transmission Utility shall be the Nodal Agency for grant of Green Energy Open Access for Medium and Long term.

iii. The Nodal Agencies shall make available all relevant information regarding Green Energy Open Access to the public on the portal of the Central Nodal Agency."

6.2 In the Regulation 8.2 of the Principal Regulations the words "Intra State Open Access Regulations, 2005" shall be substituted by "Revised Intra-State Open Access Regulations, 2021" and the words "these revised Regulations" shall be substituted by "these amendments in aforesaid Regulations".

6.3 A new Regulation namely Regulation 8.5.1 shall be added after existing Regulation 8.5 of the Principal Regulations, as follows: -

"8.5.1 Procedure for grant of Green Energy Open Access.

(i) All the applications for the Green Energy Open Access complete in all respects, shall be submitted on the portal set up by the Central Nodal Agency.

(ii) The State Nodal Agency shall, by an order in writing, approve the applications for the Green Energy Open Access within a period of fifteen days, failing which it shall be deemed to have been approved subject to the fulfilment of the technical requirements as specified by the appropriate Commission:

Provided that the order of processing of such applications for Green Energy Open Access shall be first in first out.

(iii) The Short-term and Medium-term open access shall be allowed, if there is sufficient spare capacity available in the transmission system without any augmentation whereas for Long-term open access, the transmission system may be augmented if required:

Provided that priority shall be given to Long-term in the existing system if spare capacity is available and further, open access for non-fossil fuel sources shall be given priority over the open access from the fossil fuel.

(iv) No application for open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter and all orders denying open access shall be speaking orders.

(v) Appeals against an order of the State Nodal Agency, shall lie before the Commission, within a period of 30 days from the date of receipt of order under above sub-clause (iv).

(vi) The Commission shall dispose the appeal within a period of three months and the order issued by it, shall be binding on the parties."

6.4 In the existing Regulation 8.8 of the Principal Regulations the words "for other than Green Energy Open Access Consumers" shall be added after the words "Monitoring, Dispute Resolution and Review of decision".

7. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations.

In the existing Regulation 9.1 of the Principal Regulations the words "to other than Green Energy Open Access Consumers" shall be added after the words "The following time schedule shall be adhered to by the Nodal Agency for processing of the

application for grant of open access".

8. Amendment to Regulations 13 of the Principal Regulations.

A new sub-heading shall be added after main heading of this clause namely:

"13 A: Charges for Open Access other than Green Energy Open Access Consumers:"

Further a new sub-clause 13 B shall be added after sub clause 13.3 of the Principal Regulations, namely: -

"13 B: Charges to be levied for Green Energy Open Access: -

i. The charges to be levied on Green Energy Open Access consumers shall be as follows:-
   (a) Transmission charges;
   (b) Wheeling charges;
   (c) Cross subsidy Surcharge;
   (d) Additional Surcharge;
   (e) Applicable Scheduling Fees/Charges of SLDC/RLDC and Deviation charges;
   (f) Charges imposed by State Government and applicable State/ Central taxes;
   (g) Standby charges wherever applicable; and
   (h) No other charges except the charges above, shall be levied.

ii. The Cross-subsidy surcharge shall be as per the provisions of tariff policy read with Electricity (Amendment) Rules 2022 notified by the Central Government under the Act:

Provided that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased, during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted:

Provided further that the additional surcharge shall not be applicable for Green Energy Open Access Consumers, if fixed charges are being paid by such a consumer:

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer:

Provided also that Cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

iii. The cross-subsidy surcharge payable by a consumer shall be such as to

meet the current level of cross subsidy within the area of supply of the Distribution Licensee.

iv. The standby charges, wherever applicable, shall be specified by the State Commission and such charges shall not be applicable if the Green Energy Open Access Consumers have given notice, in advance at least twenty-four hours before the time of delivery of power, for standby arrangement to the Distribution Licensee:

Provided that the applicable standby charges shall not be more than ten per cent of the energy charges applicable to consumer tariff category:

Provided further that the standby charges shall be in addition to the energy charges for the energy supplied by the Distribution Licensee from its pool as per the provisions of MPERC (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations 2021 and MPERC (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 as amended.

Explanation: For the purposes of this Regulation, the expression "standby charges" means the charges applicable to open access consumers against the standby arrangement provided by the Distribution Licensee, in case the open access consumer is unable to procure power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission assets and the like.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.